आदेश की क्रम सं0 और तारीख	उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गिरिडीह। (Email id :- dccourt.grd@gmail.com) अधिहरण वाद सं0–05/2020 राज्य –बनाम– अब्दुल फराह	ओदश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तिथि सहित
1	2	3
21.08.2020	अभिलेख उपस्थापित। पुलिस अद्यीक्षक, गिरिडीह के पत्रांक 778/अप0शा0, दिनांक 13.02.2020 द्वारा सरिया थाना कांड सं0 150/19, दिनांक 03.11.2019 धारा–414/34 भा0द0वि, 96(A) Transportation of Animal Rules, 11(D)(F) Prevention of Cruelity to Animals Act/12 Jharkhand Bovine Animal Act, 2005 के तहत् जप्त पिकअप भैन निबंधन सं0- JH-17J-5829 को राजसात करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उक्त के आलोक में विपक्षी वाहन चालक–सह–मालिक अब्दुल फराह, पिता–उस्मान अंसारी, साकिन–लोकबाद, थाना–तोपचांची, जिला–धनबाद को अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु ज्ञापांक 53/न्या0 दिनांक 21.03.2020 द्वारा नोटिस किया गया। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात सुनवाई की निर्धारित तिथियों में विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बहस किया गया एवं अपने समर्थन में लिखित जवाब–सह–कारण पृच्छा के माध्यम से निम्न तथ्य प्रतिवेदित किया गया हैं :– 1. यह कि, द्वितीय पक्ष बिल्कुल निर्दोष है। उसे उक्त काण्ड में केवल संदेह के आधार पर झूठा फंसाया गया है। उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। 2. यह कि, द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने रिश्तेदार श्री सखावत अंसारी, पिता–मुंशी मियां, साकिन–बेड़ो, थाना–बरकठा, जिला–हजारीबाग के घर से पालने व घरेलू उपयोग हेतु दो छोटी देहाती गाय, तीन छोटा देहाती बैल एवं दो छोटे बछड़े का वाहन सं0–JH-17J-5829 पर परिवहन किया जा रहा था। 3. यह कि, द्वितीय पक्ष के रिश्तेदार श्री सखावत अंसारी द्वारा शपथ पत्र सं0–11093, दिनांक 07.12.2019 के माध्यम से यह घोषणा किया गया है कि उक्त मवेशियों को पालने हेतु दिनांक 01.11.2019 को विपक्षी को दिया गया है। 4. यह कि, द्वितीय पक्ष द्वारा कोई अनैतिक कार्य नहीं किया गया है। पुलिस पदाधिकारियों द्वारा नाजायज तरीके से विपक्षी को फंसाया गया है, जिसमें विपक्षी को जमानत भी मिल चुका है। 5. यह कि, द्वितीय पक्ष को आर्थिक, मानसिक, शारिरिक, सामाजिक व कानूनन काफी दण्ड मिल चुका है। जप्त वाहन से वह अपने घर–परिवार का रोजी–रोटी चलाता है। 6. यह कि, कोविड–19 वैश्विक आपदा के मद्देनजर राजसात की कार्रवाई समाप्त करते हुए विपक्षी के वाहन को जल्द मुक्त करने की कृपा की जाय।	

सहायक लोक अभियोजक द्वारा जप्त् वाहन सं0–JH-17J-5829 को राजसात मुक्त करने योग्य बताया गया है।

–: आदेश :–

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता एवं सहायक लोक अभियोजक, गिरिडीह के पक्ष को सुनने तथा अभिलेखबद्ध कागजात के अवलोकनोंपरांत वाहन सं0–JH-17J-5829 को राजसात से विमुक्त किया जाता है। संबंधित पक्षों को आदेश से अवगत कराया जाय। वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी
–सह–
उपायुक्त, गिरिडीह।

जिला दण्डाधिकारी
–सह–
उपायुक्त, गिरिडीह।